जीएस सिंघवी और इकबाल सिंह न्यायमूर्ति के समक्ष

डॉ नीता मेहता, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *उत्तरदाता।*

CWP 1099 सन 1998

6 मई, 1998

भारत का संविधान, 1950 - अनुछेद 14 और 16 - हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (द्वितीय श्रेणी) नियम, 1978 - *नियम 11 - परिवीक्षाधीन की सेवाओं की समाप्ति - परिवीक्षाधीन की अवधि 2 वर्ष निर्धारित करने वाला नियम, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है - नियमों के तहत परिवीक्षा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निर्धारित* की गई है - 3 *1/2 वर्षों के बाद समाप्ति - *नियम 11 (3) के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विस्तारित परिवीक्षा की अवधि मे कोई आदेश पारित नहीं। - याचिकाकर्ता को स्वचालित रूप से पुष्टि की गई माना जाता है और इसलिए, इस धारणा पर सेवाओं की समाप्ति कि कर्मचारी परिवीक्षा पर था, अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना है* - समाप्ति के आधिकारिक रिकॉर्ड के अवलोकन पर, अदालत ने कार्रवाई को न केवल मनमाना पाया, बल्कि कानून में दुर्भावना से भी पीड़ित *पाया - बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न और अपमान के लिए लागत के रूप में 10,000 रुपये दिए गए।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (द्वितीय श्रेणी) नियम, 1978 के नियम 11 (2) और 11 (3) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह कहा जा सकता है कि किसी अधिकारी की नौकरी की पुष्टि के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के छह महीने के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। उपयुक्त आदेश पारित करने में संबंधित प्राधिकारी की विफलता नियम 11 (3) के परंतुक में निहित प्रावधान को लागू करेगी और फिर संबंधित अधिकारी यह दावा करने का हकदार होगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है। अन्य शब्दों में, नियुक्ति प्राधिकारी को नियम 11 (3) के परंतुक में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद असंतोषजनक कार्य या आचरण के आधार पर परिवीक्षाधीन की सेवा की समाप्ति का आदेश पारित करने की अपनी शक्ति से वंचित माना जाएगा। किसी भी मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 के पास नियम 11 (3) में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद नियम 11 (2) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। नियम 11 (3) में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित किसी भी आदेश के अभाव में, याचिकाकर्ता को संतोषजनक रूप से परिवीक्षा की अवधि पूरी करने वाला माना जाएगा और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 के लिए नियम 11 (2) के तहत इस धारणा के साथ शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी कि वह अभी भी परिवीक्षा पर थी। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने का विवादित आदेश 1978 के नियमों के नियम 11 (2) के तहत परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 में निहित शक्ति से परे है और इसे अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित किया जा सकता है।

पैरा 9

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति यह राय नहीं बना सकता है कि उसका काम और आचरण असंतोषजनक था जो उसकी सेवा की समाप्ति का अनुमोदन करता है। यदि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड को देखने की परेशानी उठाई होती, तो उसके लिए याचिकाकर्ता की सेवा की समाप्ति का निर्देश देना संभव नहीं हो सकता था। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की

सेवा को समाप्त करने वाला आदेश एक आकस्मिक और मनमाने तरीके से पारित किया गया है और इसलिए, यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बल्कि कानून में दुर्भावना से ग्रस्त है।

(पैरा 19)

त्रिभुवन दहिया, *अधिवक्ता व* एसपी लालेर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

रितु बाहरी, हरियाणा राज्य की सहायक महाधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

जी. एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति

(1) क्या सरकार उक्त नियम में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (द्वितीय श्रेणी) नियम, 1978 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 11 के तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर सकती है और क्या 8 जनवरी, 1998 का लागू आदेश मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य होने योग्य है, ये दो अंतर-संबंधित प्रश्न हैं, जो इस याचिका में निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं।

(2) इस याचिका पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार द्वारा जारी 25/30 मार्च, 1994 के आदेश के अनुसरण में 16 मई, 1994 को सेवा में शामिल हुई थी, जिसमें उसे दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर हरियाणा सिविल मेडिकल सेवा (वर्ग -2) में नियुक्त किया गया था। यह आदेश हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर जारी किया गया था। नियुक्ति आदेश के पैरा 4 के अनुसार, जिसने सरकार को परिवीक्षा की अवधि को 3 साल तक बढ़ाने में सक्षम बनाया, हरियाणा सरकार के आयुक्त और सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 मई, 1996 को आदेश जारी किया गया था, जिसमें उसकी परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि 14 मई, 1997 को समाप्त हो गई। इसके बाद सरकार ने परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने या याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया। तथापि, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति की तारीख से लगभग 8 माह बीत जाने के बाद वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के सचिव, स्वास्थ्य विभागों ने दिनांक 8 जनवरी, 1998 को लागू विवादित आदेश जारी कर नियमों के नियम 11(2) के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी।

(3) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है:

(1) सरकार के पास भर्ती नियमों में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद नियमों के नियम 11 (2) के तहत उसकी सेवा समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

(2) आदेश पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है।

(4) श्री पी. एल. जिंदल, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा के माध्यम से उनके द्वारा दायर लिखित बयान में, प्रतिवादीगण ने दलील दी है कि विवादित आदेश उचित है क्योंकि परिवीक्षा की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया था।प्रतिवादीगण के रुख को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, प्रारंभिक आपत्ति के पैराग्राफ 3 और मुख्य लिखित कथन के पैराग्राफ 4,6,9,12 और 13 में किए गए अभिकथनों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। वही निम्नानुसार पढ़ें:

> "परिवीक्षा की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के काम और आचरण पर प्रतिवादियों द्वारा विचार किया गया था और इसे असंतोषजनक पाया गया था। वर्ष 1994-95 के लिए याचिकाकर्ता का एसीआर अच्छा था और वर्ष 1995-96 के लिए 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था- पत्र संख्या 30/53/97-आईएचबीआई, दिनांक 9/18 जून, 1997 के माध्यम से। तीन साल की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता के परिवीक्षा मामले की फिर से जांच की गई। वर्ष 1996-97 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर को 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन प्रतिकूल, टिप्पणियां हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने मुख्यालय को ठीक से बनाए नहीं रखा। तदनुसार, सभी सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि मुख्यालय का रख रखाव डॉक्टरों द्वारा किया जाए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं और एक डॉक्टर के लिए मुख्यालय का रखरखाव नहीं करना एक बहुत ही गंभीर चूक है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, परिवीक्षा के दौरान हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा (वर्ग-II) नियम, 1978 के नियम 11 (2) के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को परिवीक्षा के दौरान *8* जनवरी, 1998 को जारी किए गए 29 दिसंबर, 1997 के सरकारी आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया है (अनुलग्नक आर/1)।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1995-96 के लिए एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियां निम्नानुसार दर्ज की गई थीं:

स्तंभ संख्या- 1

1.	श्रमसाध्य और क्षमता	औसत

2.	बौद्धिक क्षमता	औसत
3.	व्यावसायिक क्षमता	औसत
4.	प्रशासनिक क्षमता	औसत
5.	नवीनतम पेशेवर और साहित्य ज्ञान	औसत
6.	एफ.डब्ल्यू. कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी	शून्य
10.	सामुदायिक कार्यक्रम जैसे मलेरिया कार्यक्रम, चेचक, उन्मूलन कार्यक्रम, टी. बी. नियंत्रण, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि में सक्रिय भागीदारी।	शून्य
11.	क्या अधिकारी छुट्टियों के दौरान कार्यालय बंद करने के बाद अपना मुख्यालय बनाए रखता था।	नहीं।
12.	बाढ़ के समय कितना काम किया	नहीं
13.	ग्रेडिंग	औसत

इन प्रतिकूल टिप्पणियों से याचिकाकर्ता को 3 अक्टूबर, 1997 के डीजीएचएस पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। याचिकाकर्ता ने 28 नवंबर, 1997 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से इन प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर रिपोर्टिंग प्राधिकरण की टिप्पणियां प्राप्त की गईं। रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने एसीआर में पहले से ही अपनाए गए अपने रुख को दोहराया। रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1995-96 के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर से प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई आधार नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर भी 29 दिसंबर, 1997 के आदेश की समीक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई सहायक सामग्री नहीं मिलती है। इसलिए 8 जनवरी, 1998 को जारी 29 दिसंबर, 1997 का आदेश उचित है जो कानून की नजर में टिकाऊ है।"

XX XX XX

रिट याचिका के पैरा 4 के जवाब में, यह कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि दो साल की थी और यदि इसे मंजूरी नहीं दी गई तो इसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने 16 मई, 1994 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और उसकी परिवीक्षा अवधि 15 मई, 1996 को देय हो गई। उनका काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया जिसके कारण उनके कामकाज में सुधार के लिए 15 मई, 1996 से उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। इस आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दी गई थी। वर्ष 1996-97 के लिए उनके एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी कि वह कभी-कभी मुख्यालय नहीं रखती हैं। जबकि याचिकाकर्ता को एचआरए मिल रहा है और वहां रहने वाली जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मुख्यालय बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने संतोषजनक ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और इसलिए उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, जिसके लिए 29 दिसंबर, 1997/8 जनवरी, 1998 के आदेश के तहत एक महीने के नोटिस की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा अवधि पार नहीं की थी, याचिकाकर्ता को विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर माना जाता है।

XX XX XX

रिट याचिका के पैरा 6 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 'अच्छी' और 1995-96 की 'औसत' थी। चूंकि परिवीक्षा अवधि के याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड समग्र रूप से अच्छा नहीं था, इसलिए पूर्वोक्त नियमों के नियम 11 के अनुसार परिवीक्षा अवधि को 15 मई, 1996 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था- सरकारी *आदेश संख्या 30/57/97-1 एचबीआई दिनांक 9/18 जून, 1997 द्वारा।*

XX XX XX

कि रिट याचिका के पैरा 9 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया गया था और 3 एसीआर में से एक अच्छा था, एक औसत था और एक में कभी-कभी मुख्यालय नहीं रखने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी थी। याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसका काम और आचरण संतोषजनक नहीं था। इसलिए सरकार ने *हरियाणा* सिविल चिकित्सा सेवा (वर्ग-II) नियम, 1978 के नियम 11 (2) की शर्तों के अनुसार हरियाणा सरकार के आदेश संख्या 30/57/97-1 एचबीआई दिनांक 9 जनवरी, 1998 के तहत याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया। ये आदेश याचिकाकर्ता को उसके आवासीय पते पर भेजे गए थे, लेकिन डाक अधिकारियों के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुए हैं कि "यहां से मकान छोड़ कर चला गया, इस लिए वापसी जाये।"

कि रिट याचिका के पैरा 12 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की एसीआर 1 जुलाई, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा औसत लिखा गया था। इस एसीआर से याचिकाकर्ता को दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के पत्र संख्या 63/एन-4 ई-II-97/8419 के माध्यम से अवगत कराया गया था। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन 16 दिसंबर, 1997 को प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तर देने वाले कार्यालय में प्राप्त हुआ था। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर इस कार्यालय पत्र संख्या 63/एन-4 ई-II-98/574, दिनांक 19 जनवरी, 1998 के माध्यम से रिपोर्टिंग अधिकारी से टिप्पणियां मांगी गई हैं। रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने दिनांक 2 मार्च, 1998 को अपनी टिप्पणी दी। रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपना पहले वाला रुख दोहराया। रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1995-96 के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर से प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई आधार नहीं है।

कि रिट याचिका के पैरा 13 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के वर्ष 1996-97 के लिए एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी थी कि 'वह कभी-कभी मुख्यालय का रखरखाव नहीं करती है।' इन प्रतिकूल टिप्पणियों से याचिकाकर्ता को दिनांक 13 जनवरी, 1998 के पत्र संख्या 63/एन-4 ई-II-98/250 के माध्यम से अवगत कराया गया था। प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिवेदन 21 मार्च, 1998 को उत्तरदाता संख्या 2 के उत्तर देने वाले कार्यालय में प्राप्त हुआ था। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन की टिप्पणियां रिपोर्टिंग अधिकारी से मांगी गई हैं। रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने अपनी टिप्पणी दी और रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने एसीआर में पहले से ही लिए गए अपने रुख को दोहराया। रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1996-97 के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर से प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई आधार नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक मंजूरी दे दी है।

(5) हमने श्री त्रिभुवन दहिया और सुश्री रितु बाहरी को सुना है और रिट याचिका के रिकॉर्ड के साथ-साथ विद्वान सहायक महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया है जिसमें दो फाइलें और याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शामिल हैं।

(6) नियमों का नियम 11, जिसकी व्याख्या रिट याचिका में उठाए गए दो मुद्दों में से एक के अधिनिर्णय पर निर्भर करेगी, निम्नानुसार है:

"11. परिवीक्षा-(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे:

बशर्ते कि -

(1) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी संगत या उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर खर्च की कोई भी अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(2) कार्यवाहक नियुक्ति की किसी भी अवधि को परिवीक्षा पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने इस तरह से कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पूरी होने पर, पुष्टि का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे स्थायी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जाता है।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है, तो वह उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि का विस्तार कर सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित हो सकते थे:

बशर्ते कि विस्तार सहित परिवीक्षा की कुल अवधि, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा है: -

(1) ऐसे व्यक्ति की पुष्टि उसकी नियुक्ति की तारीख से करें, यदि स्थायी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है;

(2) ऐसे व्यक्ति की पुष्टि उस तारीख से करें जहां से एक स्थायी रिक्ति होती है, यदि एक अस्थायी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया जाता है; नहीं तो

(3) यदि कोई स्थायी रिक्ति नहीं है, तो घोषणा करें कि उसने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है:

बशर्ते कि यदि उपरोक्त तीन निर्णयों में से कोई भी परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के छह महीने के भीतर नहीं लिया जाता है, यदि कोई हो, तो उपरोक्त छह महीने की अवधि की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी को संतोषजनक रूप से परिवीक्षा की अवधि पूरी करने वाला माना जाएगा।"

(7) इस नियम के विश्लेषण से पता चलता है कि :-

(1) सेवा में इस पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होता है।

(2) सेवा में नियुक्ति के बाद संबंधित या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर खर्च की गई अवधि को परिवीक्षा पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाना है। इसी तरह, कार्यवाहक नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा की अवधि को परिवीक्षा के रूप में गिना जाना है।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह राय बनाता है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है, तो वह या तो उसकी सेवा समाप्त कर सकता है या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित कर सकता था।

(4) परिवीक्षा अवधि का विस्तार करने की शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन है कि विस्तार सहित प्रोबेटियोरी की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर क्या किया जाना है, यह नियम 11 (3) में प्रदान किया गया है। इस नियम के तहत, नियुक्ति प्राधिकारी, (ए) यदि यह राय है कि अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक है, तो उसकी नियुक्ति की तारीख से उसकी पुष्टि कर सकता है बशर्ते कि उसे स्थायी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया हो, (बी) यदि स्थायी रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो स्थायी रिक्ति होने की तारीख से अधिकारी की पुष्टि करें, (ग) यदि स्थायी रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह घोषणा कर सकता है कि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

(8) नियम 11(3) के परंतुक में एक निर्णायक खंड शामिल है अर्थात एक परिवीक्षाधीन को अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने वाला माना जाता है यदि नियुक्ति प्राधिकारी प्रारंभिक और परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के 6 महीने के भीतर उपरोक्त तीन निर्णयों में से कोई भी निर्णय नहीं लेता है।

(9) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाधीन की सेवा की समाप्ति के मुद्दे पर या तो परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के अंत में या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत में निर्णय लेना होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने वाले अधिकारी की पुष्टि के मुद्दे पर भी निर्णय लेना आवश्यक है। हालांकि, यदि परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के अंत में सक्षम द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो अधिकारी खुद को स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में नहीं मान सकता है। इसके बजाय, उसे इस शर्त के अधीन रोजगार द्वारा परिवीक्षा पर जारी रखा जाना माना जाएगा कि परिवीक्षा की अधिकतम अवधि नियम 11 (2) के परंतुक में इंगित 3 वर्ष की बाहरी सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति से उचित समय के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को अधिकारी की पुष्टि के संबंध में निर्णय लेना है। नियम 11 (2) और नियम 11 (3) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह कहा जा सकता है कि इस शक्ति का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के छह महीने के भीतर किया जाना है। उपयुक्त आदेश पारित करने में संबंधित प्राधिकारी की विफलता नियम 11 (3) के परंतुक में निहित प्रावधान को लागू करेगी और फिर संबंधित अधिकारी यह दावा करने का हकदार होगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति प्राधिकारी को नियम 11 (3) के परंतुक में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद असंतोषजनक कार्य या आचरण के आधार पर परिवीक्षाधीन की सेवा की समाप्ति का आदेश पारित करने की अपनी शक्ति से वंचित माना जाएगा।

(10) संबंधित राज्य प्रावधानों के उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में, हमें यह तय करना होगा कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 सेवा में प्रवेश के 3 साल और 6 महीने से अधिक समय के बाद याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त कर सकता है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता 16 मई, 1994 को सेवा में शामिल हुआ। इसलिए, परिवीक्षा की अवधि 16 मई, 1994 को शुरू मानी जाएगी। नियुक्ति आदेश के नियम 11(2) और पैरा 4 के अनुसार, उनकी परिवीक्षा का कार्यकाल 25 मई, 1996 के आदेश द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। परिवीक्षा की विस्तारित अवधि 14 मई, 1997 को समाप्त हो गई। उस स्तर पर, प्रतिवादी नंबर 1 को नियम 11 (3) के संदर्भ में उचित आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, इस मामले का तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 14 मई, 1997 को या अगले 6 महीनों के भीतर कोई आदेश नहीं दिया गया था। इसके बजाय, उसने परिवीक्षा की विस्तारित अवधि की समाप्ति के लगभग 8 महीने बाद आक्षेपित आदेश पारित किया। हमारी राय में, प्रतिवादी नंबर 1 ऐसा नहीं कर सका क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग उक्त प्रतिवादी द्वारा परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के अंत में या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में किया जा सकता था। किसी भी मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 के पास नियम 11 (3) के परंतुक में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद नियम 11 (2) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का अधिकार नहीं था। हमारी यह भी राय है कि नियम 11 (3) में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित किसी भी आदेश के अभाव में, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 के लिए नियम 11 (2) के तहत इस धारणा के साथ शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी कि वह अभी भी परिवीक्षा पर थी।

(11) उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने का आक्षेपित आदेश 1978 के नियमों के नियम 11 (2) के तहत परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 में निहित शक्ति के विपरीत है और इसलिए, इसे अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित किया जाना चाहिए।

(12) हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से भी सहमत हैं कि लागू आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि कानून में दुर्भावना से ग्रस्त है। सुश्री बहरी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान करने के

बाद, याचिकाकर्ता ने 24 जुलाई, 1995 से 23 जनवरी, 1996 तक मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने उन्हें 24 जुलाई, 1995 से 19 जनवरी, 1996 तक अवकाश स्वीकृत किया। छुट्टी लेने के बाद, वह 21 जनवरी, 1996 को ड्यूटी पर आ गईं और 8 जनवरी, 1998 को आदेश जारी होने तक सेवा में बनी रहीं।

(13) याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी सेवा के पहले वर्ष यानी 1994-95 के लिए, रिपोर्टिंग अधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणी की है: -

एच.सी.एम.एस. वर्ग- I एच.सी.एम.एस.-II, अधिकारियों तथा दन्तक सर्जनों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जांच-

(वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट)

1. अधिकारी का पूरा नाम	डा० नीता मेहता
2. एच.सी.एम.एस. वर्ग-1, वर्ग-II में प्रवेश करने/ सहायक दन्तक सर्जन के पद पर नियुक्ति की तिथि	16 मई, 1994
3. वर्तमान नियुक्ति	Asstt. Blood Transfusion Officer
4. वर्तमान नियुक्ति की तिथि	16th मई, 1994
5. रिपोर्ट का समय	16 मई,1994 से 31 मार्च, 1995
6. रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी	प्रमुख, रक्त बैंक
7. (1) परिश्रमी तथा क्षमता	निर्देशों के अनुसार श्रम
(2) बुद्धि	सामान्य बुद्धिमान
(3) व्यवसायिक योग्यता	M.B.B.S.
(4) प्रशासकीय योग्यता	अच्छा
(5) अन्यों के साथ व्यवहार	अच्छा
(6) आधुनिक व्यवसायिक साहित्य का ज्ञान	औसत
(7) गरीबों के साथ व्यवहार	अच्छा
(8) ईमानदारी के बारे में ख्याति	ईमानदार
(9) परिवार नियोजन कार्य में सक्रिय भाग	अभिलेख पर नही है
(10) क्या लक्ष्यों के प्रति भिन्न-2 कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ प्राप्त हैं लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का संक्षित ब्यौरा	--
(11) क्या अधिकारी कार्यालय बन्द होने के बाद और छुट्टियों के दिनों में अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहता है या नहीं	हाँ
(12) कोई अन्य टिप्पणी	
(13) त्रुटियां यदि कोई हो	--
(14) वर्गीकरण प्रकृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम	अच्छा

(Sd.).

प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

(Sd.).....
निदेशक,
चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक।

(14) वर्ष 1995-96 के लिए दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। पहली रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1995 से 7 जुलाई, 1995 की अवधि से संबंधित है और दूसरी रिपोर्ट 1 जुलाई, 1995 से 31 मार्च, 1996 की अवधि से संबंधित है। पहली रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता को रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा 'अच्छा अधिकारी' के रूप में दर्जा किया गया

है। उनके द्वारा की गई टिप्पणियां, जिन्हें हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, इस प्रकार हैं:

एच.सी.एम.एस. वर्ग- I, अधिकारियों तथा दन्तक सर्जनों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जांच-

(वर्ष ... ...)

1. अधिकारी का पूरा नाम	डा० नीता मेहता
2. एच.सी.एम.एस. वर्ग-1, वर्ग-II में प्रवेश करने/ सहायक दन्तक सर्जन के पद पर नियुक्ति की तिथि	16 मई, 1994
3. वर्तमान नियुक्ति	Asstt. Blood Transfusion Officer
4. वर्तमान नियुक्ति की तिथि	16th मई, 1994
5. रिपोर्ट का समय	1 अप्रैल,1995 से 7 जुलाई, 1995
6. रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी	डा० पी०के० सहगल, प्रमुख, रक्त बैंक विभाग
7. (1) परिश्रमी तथा क्षमता	मेहनती
(2) बुद्धि	बुद्धिमान
(3) व्यवसायिक योग्यता	अच्छा
(4) प्रशासकीय योग्यता	अच्छा
(5) अन्यों के साथ व्यवहार	अच्छा
(6) आधुनिक व्यवसायिक साहित्य का ज्ञान	अच्छा
(7) गरीबों के साथ व्यवहार	अच्छा
(8) ईमानदारी के बारे में ख्याति	ईमानदार
(9) परिवार नियोजन कार्य में सक्रिय भाग	---
(10) क्या लक्ष्यों के प्रति भिन्न-2 कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ प्राप्त हैं लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का संक्षित ब्यौरा	--
(11) क्या अधिकारी कार्यालय बन्द होने के बाद और छुट्टियों के दिनों में अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहता है या नहीं	हाँ
(12) बाड राहत कारय में कितना समय काम किया या नही किया	--
(13) कोई अन्य टिप्पणी	--
(14) त्रुटियां यदि कोई हो	नही
(15) वर्गीकरण	अच्छा

प्रकृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम

स्थान: रोहतक
तिथिः 16.3.98

(Sd.).

प्रतिहस्ताक्षरित
सिविल सर्जन, रोहतक।

प्रमुख रक्त आधान विभाग।
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक।

उपायुक्त, रोहतक की टिप्पणी :

प्रतिहस्ताक्षर,
उपायुक्त, रोहतक।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें,
हरियाणा, चण्डीगढ़ की टिप्पणी :

प्रतिहस्ताक्षर,

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।

(15) दूसरी रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता को 'औसत' कहा गया है। दूसरी रिपोर्ट के विभिन्न स्तंभों में की गई प्रविष्टियां इस प्रकार हैं:

एच.सी.एम.एस. वर्ग- I, अधिकारियों तथा दन्तक सर्जनों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जांच-

(वर्ष 1995-96)

1. अधिकारी का पूरा नाम	डा० नीता मेहता
2. एच.सी.एम.एस. वर्ग-1, वर्ग-II में प्रवेश करने/ सहायक दन्तक सर्जन के पद पर नियुक्ति की तिथि	-----
3. वर्तमान नियुक्ति	MO. CHC, कलानौर
4. वर्तमान नियुक्ति की तिथि	----
5. रिपोर्ट का समय	1 जुलाई,1995 से 31 मार्च, 1996
6. रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी	डा० डी०के० शर्मा, डी०एम०ओ०, रोहतक
(1) परिश्रमी तथा क्षमता	औसत
(2) बुद्धि	औसत
(3) व्यवसायिक योग्यता	औसत
(4) प्रशासकीय योग्यता	औसत
(5) अन्यों के साथ व्यवहार	अच्छा
(6) आधुनिक व्यवसायिक साहित्य का ज्ञान	अच्छा
(7) गरीबों के साथ व्यवहार	अच्छा
(8) ईमानदारी के बारे में ख्याति	ईमानदार
(9) परिवार नियोजन कार्य में सक्रिय भाग	बिलकुल नही
(10) क्या लक्ष्यों के प्रति भिन्न-2 कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ प्राप्त हैं लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का संक्षित ब्यौरा	बिलकुल नही
(11) क्या अधिकारी कार्यालय बन्द होने के बाद और छुट्टियों के दिनों में अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहता है या नहीं	नही
(12) बाड राहत कारय में कितना समय काम किया या नही किया	बिलकुल नही
(13) कोई अन्य टिप्पणी	--
(14) त्रुटियां यदि कोई हो	
(15) वर्गीकरण	अच्छा

प्रकृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम

स्थान: रोहतक
तिथिः 13.8.98

(Sd.).
रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

प्रतिहस्ताक्षरित
सिविल सर्जन, रोहतक।

प्रतिहस्ताक्षर,
उपायुक्त, रोहतक।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें,
हरियाणा, चण्डीगढ़ की टिप्पणी :
प्रतिहस्ताक्षर,
महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।

(16) वर्ष 1996-97 के लिए, याचिकाकर्ता कॉलम 11 में एक टिप्पणी कि कभी-कभी वह कार्यालय बंद होने के बाद या छुट्टी में मुख्यालय में नहीं रहती है, को छोड़कर सभी में 'उत्कृष्ट' प्रदर्शन किया है। वर्ष 1996-97 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में की गई प्रविष्टियां, जिन पर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा द्वारा विधिवत प्रति-हस्ताक्षर किए गए हैं, इस प्रकार हैं:

एच.सी.एम.एस. वर्ग- I, अधिकारियों तथा दन्तक सर्जनों से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जांच-

(वर्ष 1996-97)

1. अधिकारी का पूरा नाम	डा० नीता मेहता पुत्री ब्रमदत्त मेहता पत्नी डा० रमन शुक्ला
2. एच.सी.एम.एस. वर्ग-1, वर्ग-II में प्रवेश करने/ सहायक दन्तक सर्जन के पद पर नियुक्ति की तिथि	16.05.1994
3. वर्तमान नियुक्ति	पी०एस०सी० खरावड (सी०एच०सी० सापलाँ)
4. वर्तमान नियुक्ति की तिथि	14.07.1995
5. रिपोर्ट का समय	1.04.1996 से 31.03.1997
6. रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी	डा० भारत सिंह, डी०एफ०डब्लू०ओ०, रोहतक
(1) परिश्रमी तथा क्षमता	प्रकृष्ठ
(2) बुद्धि	प्रकृष्ठ
(3) व्यवसायिक योग्यता	प्रकृष्ठ
(4) प्रशासकीय योग्यता	प्रकृष्ठ
(5) अन्यों के साथ व्यवहार	प्रकृष्ठ
(6) आधुनिक व्यवसायिक साहित्य का ज्ञान	प्रकृष्ठ
(7) गरीबों के साथ व्यवहार	प्रकृष्ठ
(8) ईमानदारी के बारे में ख्याति	प्रकृष्ठ
(9) परिवार नियोजन कार्य में सक्रिय भाग	प्रकृष्ठ
(10) क्या लक्ष्यों के प्रति भिन्न-2 कार्यक्रमों में उपलब्धियाँ प्राप्त हैं लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का संक्षित ब्यौरा	प्रकृष्ठ
(11) क्या अधिकारी कार्यालय बन्द होने के बाद और छुट्टियों के दिनों में अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहता है या नहीं	कभी कभी नही रहता है।
(12) बाड राहत कारय में कितना समय काम किया या नही किया	किया
(13) कोई अन्य टिप्पणी	शून्य
(14) त्रुटियां यदि कोई हो	
(15) वर्गीकरण	प्रकृष्ठ (Outstanding) प्रकृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से कम

स्थान:
तिथि: 07.04.1997

(Sd.).

रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद

प्रतिहस्ताक्षरित

एच०सी०एम०एस०

सिविल सर्जन, रोहतक।

प्रतिहस्ताक्षर,

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।

(17) विद्वान सहायक महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फाइलों में ऐसा कोई कागज नहीं है जो उन कारणों का संकेत दे सके जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को परिवीक्षा की मूल अवधि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, फाइल नंबर 54/एन/131 में दर्ज नोट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा की अवधि 25 मई, 1996 के आदेश के तहत इस आधार पर बढ़ा दी गई थी कि उसकी दो प्रविष्टियां अच्छी नहीं थीं। यह तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि 25 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार याचिकाकर्ता की किसी भी रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। वस्तुत, वर्ष 1994-95 से संबंधित याचिकाकर्ता की केवल एक वाषक गोपनीय रिपोर्ट 25 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध थी और वह अच्छी बात थी। वर्ष 1995-96 की दो रिपोर्टें बाद में दर्ज की गई हैं। इसलिए, हमें इस निष्कर्ष को दर्ज करने में कोई संकोच नहीं है कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना सोचे-समझे लिया गया था।

(18) फाइल संख्या 54/एन/131 में दर्ज कार्यालय नोटिंग से यह भी पता चलता है कि शुरू में विभाग ने एक आदेश जारी करने की सिफारिश की थी कि याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस पर, वित्तीय आयुक्त, स्वास्थ्य और चिकित्सा ने 4 दिसंबर, 1997 को निम्नलिखित नोट दर्ज किया:

"कृपया उस फाइल को लिंक करें जिस पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई थी।"

इस पर, कार्यालय ने बताया कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार से संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं है और इसका पुनर्निर्माण किया गया है। नोट में आगे कहा गया है कि उनकी परिवीक्षा की अवधि इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि दो रिपोर्ट अच्छी नहीं थीं। हालांकि, चूंकि उसने अगले वर्ष में उत्कृष्ट रिपोर्ट अर्जित की है, इसलिए वह परिवीक्षा अवधि को पार करने की अनुमति देने के लिए फिट है। वित्तीय आयुक्त, चिकित्सा और स्वास्थ्य ने कार्यालय के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने निम्नलिखित आदेश दर्ज किया:

"डॉ. नीता मेहता, एमओ, को वर्ष 1994-95 के लिए अच्छी रिपोर्ट और वर्ष 1995-96 में 'औसत' रिपोर्ट मिली है। इसलिए, उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। *अब, डॉ मेहता का 1996-97 का एसीआर उत्कृष्ट है लेकिन उन्होंने मुख्यालय का रख रखाव नहीं किया। उनके 1996-97 के एसीआर में दी गई टिप्पणी को देखते हुए परिवीक्षा अवधि के दौरान उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।*

(एसडी..),(वीना ईगलटन)
एफ.सी.एच.एम.
29-12-1997।

इस आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

(19) वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित की गये कार्यालय नोटिंगस का सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। कार्यालय नोट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि उसकी दो रिपोर्ट अच्छी नहीं थीं, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह *प्रथम दृष्टया* गलत है। इसके अलावा जिस तरह से विद्वान वित्तीय आयुक्त ने याचिकाकर्ता के मामले को निपटाया, उससे बहुत कुछ वांछित रह जाता है। हमें ऐसा लगता है कि संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ता की सेवा छोड़ने का फैसला करने से पहले रिकॉर्ड देखने की कठिनाई नहीं उठाई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वर्ष 1995-96 के लिए, याचिकाकर्ता की दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और उनमें से एक में उन्हें 'अच्छे अधिकारी' के रूप में दर्जा दिया गया है। उन्होंने इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया कि दूसरी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को 'औसत' के रूप में दर्जा दिया गया है, जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है। विद्वान आयुक्त ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि याचिकाकर्ता 24 जुलाई, 1995 से 19 जनवरी, 1996 तक मातृत्व अवकाश पर थी और संबंधित प्राधिकारी के पास उस अवधि के संबंध में उसके प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर नहीं था और औसतन रिपोर्ट को 21 जनवरी 1996 से 31 मार्च, 1996 तक याचिकाकर्ता के काम के संबंध में दर्ज किया जा सकता है। पिछली रिपोर्ट (1996-97) में, याचिकाकर्ता को मामूली प्रतिकूल टिप्पणी

के साथ 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है कि कभी-कभी वह कार्यालय के समय के बाद और छुट्टियों के दौरान मुख्यालय में नहीं रहती है। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति यह राय नहीं बना सकता था कि उसका काम और आचरण असंतोषजनक था जिससे उसकी सेवा समाप्त किया जा सकता था। यदि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड को देखने का कष्ट उठाया होता, तो उसके लिए याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का निर्देश देना संभव नहीं हो सकता था। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने का आदेश आकस्मिक और मनमाने तरीके से पारित किया गया है और इसलिए, यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बल्कि कानून में दुर्भावना से ग्रस्त है।

(20) ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। दिनांक 8 जनवरी, 1998 के आदेश को रद्द किया जाता है। सेवा की समाप्ति के कारण उसके द्वारा झेले गए उत्पीड़न और अपमान के लिए, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों से 10,000 रुपये का जुर्माना मिलेगा। सरकार उस अधिकारी से इसकी वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगी जो याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से मनमाना आदेश पारित करने के लिए जिम्मेदार पाया जा सकता है।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा